



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक: गोपनीय/ल.शो./2023/ 724  
प्रति,  
प्राचार्य,

विश्वविद्यालय भवन,  
इन्दौर - 452 001  
दिनांक:- 06 NOV 2023

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/निदेशक,  
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,  
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,  
इन्दौर/धार/झाबुआ/खण्डवा/खरगोन/बड़वानी/बुरहानपुर/अलीराजपुर

**विषय:-** सत्र 2022-23 के एम.एड. चतुर्थ सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लघुशोध प्रबंध विश्वविद्यालय को भेजने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय में निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि लघुशोध प्रबंध विश्वविद्यालय कार्यालय में परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए। सैद्धांतिक परीक्षा कुछ समय पश्चात होना संभावित है। किंतु आपके महाविद्यालय के उक्त कक्षाओं के लघुशोध प्रबंध कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं। स्पाइरल बाइंडिंग किये हुए लघुशोध प्रबंध स्वीकार नहीं किये जावेगे। जिल्द बाइंडिंग किये हुए लघुशोध प्रबंध ही भेजे लघुशोध प्रबंध निर्धारित प्रारूप में ही तैयार किये जाना है। यदि किसी विद्यार्थी के लघुशोध प्रबंध में नकल पायी जाती है तो निर्देशक के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि जिन विद्यार्थियों को पात्रता है, उनके लघुशोध प्रबंध की दो-दो प्रतियां दोनों (मूल प्रति) विश्वविद्यालय कार्यालय में दिनांक 30/11/2023 तक अग्रप्रेषण-पत्र (Forwarding-letter) के साथ निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ अनिवार्य: प्रेषित करें। फोटो कापी किये हुए लघुशोध प्रबंध स्वीकार नहीं किये जावेंगे। उक्त तिथि के पश्चात लघुशोध प्रबंध स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

क्रमांक	विद्यार्थी का नाम	कक्षा/विषय	नियमित/स्वाध्यायी	निर्देशक का नाम	लघुशोध प्रबंध का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.

परीक्षा नियंत्रक